Ph.No. 0151 - 25434
2549348 (Fax)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 122/2018

कंचन दवे,
25, R–4, जयश्री कॉलोनी,
बोहरा गणेश मंदिर के पास
उदयपुर (राजस्थान) **अपीलार्थी**

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 20.07.2018
अपील में निर्णय की दिनांक 24.08.2018

निर्णय

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.05.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान नही की गई होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 25.05.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.05. 2018) प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी के पत्रांक 201 दिनांक 13. 07.2018 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को सूचना/प्रत्युत्तर भिजवायी गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

श्रीमती कंचन दवे,
W/O श्री विजय कुमार शर्मा,
25, R-4, जयश्री कॉलोनी,
नजदीक बोहरा गणेश मन्दिर,
उदयपुर–313001 (राज.)

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.05.2018)

Contd.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के क्रम में लेख है कि आप द्वारा वांछित सूचनाएँ प्रश्नात्मक स्वरूप मे चाही गई है। प्रश्नों के उत्तर देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नही आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(J) मे वर्णित *'सूचना'* की परिभाषा अनुसार प्रश्न सूचना की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा ***रिट पीटीशन सं. 419/2007 डॉ. सेल्सा पिण्टों बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग*** के प्रकरण में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा ***निर्णय दिनांक 03.04.2008*** से माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। साथ ही आप द्वारा जिस स्वरूप में सूचना चाही गई है उस स्वरूप मे अभिलेखों में संधारित नही है। सूचनाओं का सृजन करना सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में नही आता है फिर भी यहॉ यह लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजुवास के पी.जी. स्टूडेंट यथा एम.एस.सी., एम.वी.एससी व पी.एच.डी छात्रों हेतु स्टाईपेंड मद में स्वीकृत राशि को राजुवास द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समस्त छात्रों को उनके आचरण व उपस्थिति के दृष्टिगत भुगतान किया जाता है।

यदि उपरोक्त कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं है तो पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में माननीय कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिजय भवन पैलेस, पं. दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर पिन–334001 (राज.) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपीलार्थी ने प्रार्थनापत्र दिनांक 25.05.2018 (विश्वविद्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.05.2018) के द्वारा कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी से चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वार प्रदान नहीं की गयी होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत कर सूचना देने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी को विश्वविद्यालय के पत्रांक एफ (अ. 122/18) VCS/RAJUVAS /RTI/2018/224 दिनांक 16.08.2018 के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 24.08.2018 नियत की गई होना अवगत करवाया गया। अपीलार्थी नियत तारीख पेशी की अनुपस्थित रही। कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक को पत्रांक 201 दिनांक 13.07.2018 को द्वारा प्रत्युत्तर/सूचना भिजवा दी गयी है व अपील खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि कुलसचिव एवं लोकसूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी को प्रत्युत्तर/सूचना दी जा चुकी है व अपीलार्थी द्वारा इस पर कोई एतराज भी प्रकट नही किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर

P/C Attested-

कुल सचिव
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान
विश्वविद्यालय बीकानेर